संख्याः 04 भू0क्य/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः 14 जुलाई, 2008

विषयः—मै0 एन्कौर फार्मा प्रा0लि0 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु जनपद हरिद्वार की तहसील रूड़की के ग्राम नन्हेडा अनन्तपुर में कुल 0.1367 है0 भूमि क्य करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 179/भूमि व्यवस्था–भू0क0 दिनांक 12–3–2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 एन्कौर फार्मा प्रा0लि0 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम नन्हेडा अनन्तपुर में ख0नं0 170म रकवई 0.1163 है0, 171म रकबई 0.1760 है0, 172म रकबई 0.1524 है0, 173म रकवई 0.1840 है0 कुल 4 किते रकबई 0.6287 है0 में अपने भाग 0.4920 है0 में से कुल रकबई 0.1367 है0 भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर वना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि वन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके वाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया

.....(2)

गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 2 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाय।

7– कय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तन कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/ मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– प्रस्तावित इकाई का निर्माण कार्य सीडा से लेआऊट स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र टेबलेट, कैपसूल, लिक्विड सिरप बनाने के कियाकलापों की स्थापना हेतु किया जायेगा।

11– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पाट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

12– इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व ड्रग लाइसेंस, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन आदि विभागों से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती हैं, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

.....(3)

14– किसी दशा में क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

15– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

16– इकाई की स्थापना के पूर्व उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वांछित विधिक एवं अन्य अनापत्तियां /अनुज्ञायें/प्रमाण पत्र आदि नियमानुसार प्राप्त कर लिये जायेंगे।

17– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्रम एंव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6– निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
7– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2–न्यूकैन्ट रोड़, सिडकुल, देहरादून।
8– श्री पदमाक्ष गोयल पुत्र स्व0 श्री घनश्याम दास गोयल, नि0 107 द्वारिका पुरी, गली नं0–6 मुज्जफरनगर, उ0प्र0।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।